जितेन्द्रसिंह वगैरह बनाम राज. सरकार वगैरह
मुकदमा नम्बर 0236 / 2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां (डीडवाना—कुचामन)

पीठासीन अधिकारी : श्री विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :—

1. जितेन्द्रसिंह पुत्र सग्रामसिंह जाति राजपूत उम्र करीबन 45 वर्ष निवासी ग्राम घाटवा तहसील कुचामन सिटी।
2. तिलोकराम पुत्र मेघाराम जाति कुमावत उम्र करीबन 50 वर्ष निवासी ग्राम गांधीग्राम तहसील कुचामन सिटी।

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामन सिटी(भूमिधारी)।
2. मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक शाखा दांतारामगढ सीकर।
3. क्षेत्रीय वन अधिकारी कुचामन सिटी।

प्रार्थना पत्र बाबत :— नक्शा दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 111,128,129,130,136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

उपस्थित :— श्री हनुमानाराम अधिवक्ता प्रार्थीगण

मुकदमा नम्बर :— 0236 / 2022 निर्णय दिनांक :— 22.12.2023

निर्णय

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में स्थित खसरा नम्बर 1095 / 1053 रकबा 2.8700 हैक्टर, खसरा नम्बर 1096 / 1053 हैक्टर कुल रकबा 3.20 हैक्टर पहले एक ही चक मे स्थित थी जिसका एक खसरा नम्बर 1053 / 504 रकबा 3.20 हैक्टर था। राजस्व ग्राम घाटवा तहसील कुचामनसिटी की सरहद में भूमि खसरा नं0 1095 / 1053 रकबा 2.8700 हैक्टर भूमि प्रार्थी संख्या 1 जितेन्द्रसिंह की तथा खसरा नम्बर 1096 / 1053 रकबा 0.33 हैक्टर भूमि प्रार्थी संख्या 2 तिलोकराम की कब्जे शुद्ध खातेदारी की स्थित है। खसरा नम्बर 1053 / 504 रकबा 3.20 हैक्टर का राजस्व नक्शा मे तरमीम करते वक्त मौका के कब्जा काश्त व रकबा के अनुसार नहीं कर कम रकबा का नक्शा राजस्व नक्शा मे कम तरमीम कर दिया। जिससे रकबा 3.20 हैक्टर में से 0.50 हैक्टर का रकबा नक्शा मे तरमीम हुआ है। जिसकी तरमीम कम होने की जानकारी नाप चौक करने पर हुई। राजस्व नक्शे में 0.50 हैक्टर भूमि का रकबा नक्शा मे तरमीम होने से रह गया। अर्थात राजस्व नक्शे मे रकबा 3.20 हैक्टर रकबा तरमीम नही होकर 2.70 हैक्टर का नक्शा तरमीम हुआ है। प्रार्थीगण मौका कब्जा एंव रकबा के अनुसार राजस्व नक्शे में किसी प्रकार का विवाद नहीं हो शुद्ध उद्देश्य से नक्शा दुरस्त करवाना चाहते है जिसका नजरी नक्शा प्रार्थना में अंकित किया। राजस्व ग्राम घाटवा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1095 / 1053 रकबा 2.87 हैक्टर व खसरा नम्बर 1096 / 1053 रकबा .33 हैक्टर का राजस्व नक्शा मे मौका एंव रकबा के अनुसार नक्शा दुरस्त नहीं होने से प्रार्थीगणो को अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है। प्रार्थी संख्या 1 का मकान आदि उपरोक्त भूमि में बना हुआ है जो प्रार्थी की खातेदारी की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:18 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

मे स्थित है। परन्तु राजस्व नक्शे मे प्रार्थी की भूमि कुल रकबा 3.20 हैक्टर का नक्शा कम रकबे का तरमीम होने से प्रार्थीगण 1 की 0.50 हैक्टर भूमि राजस्व नक्शे मे खसरा संख्या 1095/1053 के नक्शे से बाहर होने से प्रार्थी संख्या 1 को अनेक तरह से नुकसान उठाना पड़ रहा है। प्रार्थीगण राजस्व नक्शे मे खसरा संख्या 1095/1053 रकबा 2.87 हैक्टर व प्रार्थी संख्या 2 खसरा नम्बर 1096/1053 रकबा 0.33 हैक्टर का नक्शा राजस्व नक्शे मे मौका एंव रेकार्ड रकबा 3.20 हैक्टर के अनुसार दुरूस्ती करवाना चाहते है। राजस्व ग्राम घाटवा के खसरा नम्बर 1095/1053 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 1096/1053 रकबा 0.33 हैक्टर को राजस्व नक्शे में मौका एवं रकबा के अनुसार नक्शे मे दुरूस्ती करने का निवेदन किया।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के तामील शुदा नोटिस प्राप्त हुए। तहसीलदार कुचामन सिटी ने रिपोर्ट पेश की। पत्पश्चात तहसीलदार कुचामन सिटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अपूर्ण होने से उपतहसीलदार चितावा से विस्तृत रिपोर्ट मंगवाई गई। उपतहसीलदार चितावा ने रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि प्रकरण में ग्राम घाटवा के ख.नं. 1095/1053 रकबा 2.87 हैक्टेयर व 1096/1053 रकबा 0.33 हेक्टयर के संबंध में पटवारी हल्का घाटवा से रिपोर्ट प्राप्त की गई। ग्राम घाटवा के ख.न. 1095/1053 रकबा 2.87 हेक्टयर की वर्तमान में खातेदारी जितेन्द्र सिंह पुत्र संग्राम सिंह जाति राजपूत सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 287/320 पंजाब नेशनल बैंक शाखा दांतारामगढ़ दर्ज है। ग्राम घाटवा के ख.न. 1096/1053 रकबा 0.33 हैक्टेयर की खातेदारी तिलोकाराम पुत्र मेघाराम जाति कुमावत सा. गांधीग्राम के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त दोनो खसरा नम्बर की तरमीम दुरूस्ती चाही गई है। माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नावां के निर्णय दिनांक 17.01.2017 मुकदमा 4 नम्बर 128/2015 की पालना में ग्राम घाटवा में नामान्तकरण संख्या 1039 से खसरा नम्बर 1053/504 रकबा 3.20 हैक्टयर दर्ज किया गया। नामांतकरण की प्रति रिपोर्ट साथ पेश की। नामांतकरण संख्या 1039 की पुश्त पर खसरा संख्या 1053/504 का केवल नजरी नक्शा अंकित है, इसके पश्चात खातेदारान द्वारा आपसी सहमती विभाजन से खसरा नम्बर 1053/504 रकबा 3.20 हैक्टयर के नवीन खसरा नम्बर 1095/1053 रकबा 2.87 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1096/1053 रकबा 0.33 हेक्टयर जरिये नामांतकरण संख्या 1302 से दर्ज हुये है। खसरा नम्बर 1095/1053 व 1096/1053 का मौका देखने पर ज्ञात हुआ कि नक्शे मे तरमीम सही नहीं की गई है, तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्ताव नक्शा ट्रेस तैयार कर प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया। नक्शा तरमीम दुरूस्ती में उक्त दोनो खसरा नम्बरान के क्षेत्रफल में व खातेदारी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना है केवल नक्शे में दुरूस्ती होनी है।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया।

उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर राजस्व ग्राम घाटवा के खसरा नम्बर 1095/1053 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 1096/1053 रकबा 0.33 हैक्टर को राजस्व नक्शे में मौका एवं रकबा के अनुसार नक्शे मे दुरूस्ती करवाना चाहते है। उपतहसीलदार चितावा की रिपोर्ट के अनुसार खसरा नम्बर 1095/1053 व 1096/1053 का मौका अनुसार नक्शे मे तरमीम सही नहीं की गई है, तरमीम दुरूस्ती हेतु प्रस्ताव नक्शा ट्रेस तैयार कर पेश किया। नक्शा तरमीम दुरूस्ती में उक्त दोनो खसरा नम्बरान के क्षेत्रफल में व खातेदारी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होकर केवल नक्शे में दुरूस्ती होना बताया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं उपतहसीलदार चितावा की रिपोर्ट मय नक्शा के आधार पर प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41.18 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम घाटवा के खसरा नम्बर 1095/1053 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 1096/1053 रकबा 0.33 हैक्टर को राजस्व नक्शे में मौका एवं रकबा तथा उपतहसीलदार चितावा द्वारा प्रस्तुत नक्शा अनुसार नक्शा ट्रेस दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम घाटवा के खसरा नम्बर 1095/1053 रकबा 2.87 हैक्टर, खसरा नम्बर 1096/1053 रकबा 0.33 हैक्टर भूमि को उपतहसीलदार चितावा द्वारा प्रस्तुत नक्शा अनुसार दुरूस्त करने हेतु उपतहसीलदार चितावा को नक्शा ट्रेस में तरमीम करने हेतु आदेशित किया जाता है। उपतहसीलदार चितावा द्वारा प्रस्तुत नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। उपतहसीलदार चितावा को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.12.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्वामित्र मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
नावां (डीडवाना–कुचामन)

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2024.03.04 17:41:18 IST
Reason: SelfAttested